

हरियाणा मंत्रिमंडल ने स्वच्छ वायु परियोजना को दी मंजूरी


चर्चा में क्यों?

हरियाणा मंत्रिमंडल ने सतत विकास के लिये [हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना \(HCAPSD\)](#) को मंजूरी दे दी है, जो 3,647 करोड़ रुपए की पहल है जिसका उद्देश्य [वायु की गुणवत्ता](#) में सुधार लाना और सधु-गंगा के मैदान में उत्सर्जन को नमिन करना है।

मुख्य बिंदु

- **हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना (HCAPSD):**
 - यह परियोजना हरियाणा और सधु-गंगा के मैदान में वायु गुणवत्ता में सुधार और उत्सर्जन को कम करने के लिये [वशिव बैंक](#) द्वारा समर्थित है।
 - इसका उद्देश्य [वायु प्रदूषण नियंत्रण प्रौद्योगिकियों](#) को लागू करना और [सीमा पार उत्सर्जन को कम करने के लिये अन्य राज्यों के साथ प्रयासों का समन्वय करना](#) है।
 - यह परियोजना स्वच्छ वायु के माध्यम से नागरिकों के [जीवन को सरल](#) बनाने पर भी काम करेगी।
- **परियोजना कार्यान्वयन और प्रशासन:**
 - इस परियोजना का नेतृत्व हरियाणा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा [कृषि, परिवहन और उद्योग](#) सहित कई अन्य विभागों के सहयोग से किया जाएगा।
 - एक त्रि-स्तरीय शासी संरचना प्रगति की देखरेख करेगी, जिसमें [मुख्य सचिव](#) शीर्ष स्तरीय समिति की अध्यक्षता करेंगे।
- **स्वच्छ वायु राजदूत कार्यक्रम:**
 - एक राज्यव्यापी फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, जिसमें कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने के लिये ज़िला स्तर पर **24 "स्वच्छ वायु राजदूत"** शामिल होंगे।
- **राज्य सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदम:**
 - **महिला सशक्तीकरण योजना- लाडो लक्ष्मी योजना:**
 - मुख्यमंत्री नायब सहि सैनी ने घोषणा की कि आगामी राज्य बजट में महिलाओं के लिये **लाडो लक्ष्मी योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की जाएगी**।
 - हरियाणा सरकार ने राज्य में आर्थिक रूप से वंचित महिलाओं की सहायता के लिये **लाडो लक्ष्मी योजना** शुरू की है। इस कार्यक्रम के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिलाओं को प्रतिमाह **₹2,100** मिलेंगे।
 - **सविलि जज विभागीय परीक्षाएँ:**
 - मंत्रिमंडल ने **सविलि न्यायाधीशों की विभागीय परीक्षा** के नियमों में संशोधन किया है, अब ये परीक्षाएँ उच्च न्यायालय या नामति प्राधिकारी द्वारा आयोजित की जाएँगी।
 - **पूर्व कर्मचारियों के लिये राहत:**
 - राज्य सरकार ने **हरियाणा मनिरलस लिमिटेड (HML)** और **हैंडलूम एवं एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन के पूर्व कर्मचारियों से वसूली योग्य राशि भाफ कर दी है**।
 - इन पूर्व कर्मचारियों को अक्टूबर 2020 से 36,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक का नशिति मासकि मानदेय प्रदान किया जाएगा।

वायु प्रदूषक



सल्फर डाइऑक्साइड (SO₂):

- परिचय: यह जीवाणु ईंधन (तेल, कोयला और प्राकृतिक गैस) के उपभोग से उत्पन्न होता है तथा जल के साथ अभिक्रिया कर अम्ल वर्षा करता है।
- प्रभाव: श्वास संबंधी समस्याओं का कारण बनता है।



ओजोन (O₃):

- परिचय: सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया के तहत अन्य प्रदूषकों (छत्र और टर्क) से बनने वाला द्वितीयक प्रदूषक।
- प्रभाव: आँख और श्वसन संबंधी श्लेष्म झिल्ली में जलन होना तथा अस्थमा के दौर।




नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO₂):

- परिचय: यह तब बनता है जब नाइट्रोजन ऑक्साइड (छत्र) और अन्य नाइट्रोजन ऑक्साइड (नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड) हवा में अन्य रसायनों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं।
- प्रभाव: श्वसन रोग साथ ही यह अस्थमा को भी बढ़ा सकता है।



कार्बन मोनो ऑक्साइड (CO):

- परिचय: यह कार्बन युक्त यौगिकों के अधूरे दहन से प्राप्त एक उत्पाद है।
- प्रभाव: मस्तिष्क तक ऑक्सीजन की अपर्याप्त पहुँच के कारण थकान होना, भ्रम की स्थिति पैदा होना और चक्कर आना।



अमोनिया (NH₃):

- परिचय: अमोनो एसिड और अन्य यौगिकों के चयापचय द्वारा उत्पादित जिनमें नाइट्रोजन उपस्थित होता है।
- प्रभाव: आँखों, नाक, गले और श्वसन मार्ग में तुरंत जलन और इसके परिणामस्वरूप अंधापन, फेफड़ों की क्षति हो सकती है।



शीशा/लेड (Pb):

- परिचय: चांदी, प्लैटिनम और लोहे जैसे धातुओं के निष्कर्षण के दौरान अपने संबंधित अवस्था से अपरिशुद्ध उत्पाद के रूप में मुक्त होता है।
- प्रभाव: एनीमिया, कमजोरी और मूदे तथा मस्तिष्क की क्षति।

वायु प्रदूषक नियंत्रण सूचकांक (AQI):

- PM10: ऐसे कण जो श्वास के माध्यम से शरीर में प्रवेश करते हैं, इनका व्यास सामान्यतः 10 मिमी. या उससे भी कम होता है।
- PM2.5: ऐसे सूक्ष्म कण जो श्वास के माध्यम से शरीर में प्रवेश करते हैं, इनका आकार सामान्यतः 2.5 मिमी. या उससे भी छोटा होता है।
- स्रोत: ये इनके उत्सर्जन निम्न स्थलों, कच्ची सड़कों, खेतों/मैदानों तथा आग से उत्सर्जित होते हैं।
- प्रभाव: हृदय की धड़कनों का अनियमित होना, अस्थमा का और गंभीर हो जाना तथा फेफड़ों की कार्यक्षमता में कमी।

नोट: इन प्रमुख वायु प्रदूषकों को वायु गुणवत्ता सूचकांक में शामिल किया गया है जिसके लिये अल्पकालिक राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक निर्धारित किये गए हैं।